उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड– 249404

संख्या :: 592/04/E-4/डी0आर0(जे0ई0)/2021-22 दिनाँक :: 30 दिसम्बर, 2022

'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021 के अन्तर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारित करने वाले अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या : A-3/E-4/2021-22 दिनांक 26.11.2021 द्वारा विज्ञापित 'उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गये अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति संख्या : 492/04/E-4/डी0आर0(जे0ई0)/2021-22 दिनाँक 19 सितम्बर, 2022 के अनुक्रम में दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 तक उक्त परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से पदों और ऑनलाइन वरीयता भरने के पश्चात, ऑनलाइन वरीयता का प्रिंटआउट (जिसमें ऑनलाइन वरीयता के साथ ही आवेदन पत्र भी समाहित होगा) तथा आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध चैकलिस्ट के अनुसार समस्त शैक्षणिक, आरक्षण, अधिमानी अर्हता इत्यादि संबंधी अभिलेखों की छायाप्रतियां उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त पत्र में यह भी अंकित किया गया कि उक्तांकित निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन वरीयता, आवेदन पत्र एवं अभिलेखों को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमा धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित कतिपय अभिलेख/प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध न कराने व शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्हता की श्रेणी में रखा गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

0 सं0	अनु0	अभ्यर्थी का नाम	अनर्हता का कारण
1	***2***	***3***	***4***
1	215963	Vinod Kumar	विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।

2	225907	Akshay Kumar	विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
3	226421	Vivek Singh	विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
4	208967	Bharat Pant	विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण अनर्ह।
5	210670	Sonam Bhatt	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का दावा किया गया है, किन्तु उनके द्वारा अभिलेखों के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र वर्ष 2020–21 हेतु मान्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र वांछित है कि अभ्यर्थी ऑलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.12.2021 को उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्तर्गत आच्छादित है। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अनर्ह है।
6	216037	Pushkar Rawat	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का दावा किया गया है किन्तु उनके द्वारा प्रेषित तत्संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अंतिम तिथि 17.12.2021 के पश्चात जारी किया गया है। अभ्यर्थी से उक्तांकित अंतिम तिथि को वैध अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण–पत्र अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण–पत्र वांछित है कि अभ्यर्थी ऑलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.12.2021 को उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आच्छादित है। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अनर्ह है।

अतः प्रश्नगत पद के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों द्वारा अपनी अनर्हता के संबंध में पुष्ट साक्ष्यों के साथ प्रत्यावेदन **दिनांक 09 जनवरी, 2023 (सांय 06:00 बजे)** तक डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्यदिवस–सोमवार से शुक्रवार) **सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404** के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उक्तांकित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी दशा में विचार नही किया जायेगा।

-S/D-
(जी0एस0 रावत)
सचिव।